

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ0ग0)

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत।

--00--

राज्य शासन एतद्वारा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध, स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन की व्यवस्था हेतु गत वर्ष की भांती इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की सहमति प्रदान करता है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र. एफ 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.प्र. निर्मलकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-54/2022/38-1
प्रतिलिपि :-


नया रायपुर, दिनांक 29/08/2022

- 01 सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर अटल नगर,
- 02 सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर की ओर कम्प्यूटर एफ - 2022-38-00266 दिनांक 25.08.2022
- 03 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
- 04 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 05 समस्त संभागीय आयुक्त, (छ.ग.)

निरन्तर --2--

- 06 समस्त कलेक्टर, जिला
- 07 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग
(छ.ग.)
- 08 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 09 संबंधित प्राचार्य, -----
- 10 समस्त जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग